मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०२१

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ है. संक्षिप्त नाम.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,— मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

(१) धारा ५ में, उपधारा (५६-ए) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(५६-बी) "करयोग्य सम्पत्ति मूल्य" से अभिप्रेत है, धारा १३२ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन सम्पत्ति कर का उद्ग्रहण करने के प्रयोजन हेतु, किसी विशिष्ट वर्ष के लिए यथा विहित रीति में संगणित सम्पत्ति का मूल्य.".

(२) धारा १३२ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "कर" के पश्चात्, शब्द "तथा फीस" अंत:स्थापित किए जाएं.

(दो) उपधारा (१) में,—

(क) शब्द "कर" के पश्चात्, शब्द "तथा फीस" अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (क) में, शब्द "वार्षिक भाड़ा मूल्य" के स्थान पर, शब्द "कर योग्य संपत्ति मूल्य" स्थापित किए जाएं;

(ग) खण्ड (च) का लोप किया जाए.

(तीन) उपधारा (६) में,—

(क) शब्द "कर", जहां कहीं भी वह आया हो, के पश्चात् शब्द "या फीस" अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ठ) आउटडोर मीडिया उपकरणों के प्रदर्शन के विनियमन के लिए फीस;".

(चार) उपधारा (८) में, शब्द "कर" के पश्चात्, शब्द "तथा फीस" अंत:स्थापित किए जाएं.

(३) धारा १३२-क में, विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किए जाने वाले उपभोक्ता प्रभार.''.

(४) धारा १३३ में,—

(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''कर, फीस तथा उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण.''.

(दो) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द ''फीसों'', के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द ''फीसों'', के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(तीन) उपधारा (२) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द ''फीसों'' या ''फीस'', जहां कहीं भी वे आए हों, के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द ''फीस'', जहां कहीं भी वह आया हो, के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(चार) उपधारा (३) में, शब्द ''फीस'' जहां कहीं भी वह आया हो, के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(५) धारा १३५ में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं.

(६) धारा १३६ में,—

(एक) खण्ड (बी) में तथा उसके परन्तुक में, शब्द ''वार्षिक मूल्य'' जहां कहां भी वे आएं हों, के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (एफ) के परन्तुक में, शब्द ''वार्षिक मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं.

(तीन) खण्ड (आई) में, शब्द ''पचास प्रतिशत की सीमा तक संपत्ति कर से छूट प्राप्त होगी'' के पश्चात्, शब्द ''तथापि यह छूट तब उपलब्ध होगी यदि संपत्ति कर का संदाय उसी वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाता है जिसमें कर देय है'' जोड़े जाएं.

(७) धारा १३८ में,—

(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''भवन तथा भूमि का करयोग्य संपत्ति मूल्य.''.

(दो) उपधारा (१) में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' और शब्द ''निर्मित क्षेत्र (बिल्टअप एरिया)'' के स्थान पर, शब्द 'सन्निर्मित क्षेत्र (कंस्ट्रक्टिड एरिया)' स्थापित किए जाएं.

(तीन) उपधारा (२) में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं.

(चार) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) आयुक्त, स्वमेव अथवा प्राप्त जानकारी के आधार पर उपधारा (२) के अधीन निर्धारित किसी भूमि या भवन के कर योग्य संपत्ति मूल्य इत्यादि की जांच, परीक्षण, निर्धारण अथवा सत्यापन, कर सकेगा. दोनों ओर के दस प्रतिशत तक फेर-फार को ध्यान में नहीं लिया जाएगा. उन मामलों में जहां फेर-फार दस प्रतिशत से अधिक हो, वहां यथास्थिति, भूमि या भवन का स्वामी, उसके द्वारा किए गए स्वयं निर्धारण तथा आयुक्त द्वारा किए गए निर्धारण के अंतर के पांच गुने के बराबर शास्ति का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा:

परन्तु आयुक्त, उपधारा (२) के अधीन विगत तीन कर निर्धारण वर्ष तक जमा की गई विवरणी की जांच, परीक्षण, निर्धारण अथवा सत्यापन, कर सकेगा.''.

(पांच) उपधारा (४) में, पूर्णविराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ उपधारा (३) के अधीन जारी आदेश में मांगी गयी राशि की कम से कम पचास प्रतिशत राशि का भुगतान करने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो.''.

(८) धारा १४३ का लोप किया जाए.

(९) धारा १४४ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''जानकारी प्राप्त करने की शक्ति.''.

(दो) प्रारम्भिक पैरा में, शब्द ''अपने को कर निर्धारण सूची तैयार करने में समर्थ बनाने के लिए,'' का लोप किया जाए.

(१०) धारा १४५ का लोप किया जाए.

(११) धारा १४६ का लोप किया जाए.

(१२) धारा १४७ का लोप किया जाए.

(१३) धारा १४८ का लोप किया जाए.

(१४) धारा १४९ में,—

(एक) उपधारा (१) और (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"(१) यदि इस अधिनियम की धारा १३८ की उपधारा (४) के अधीन मेयर-इन-काउंसिल द्वारा लिए गए विनिश्चय के विरुद्ध यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मेयर-इन-काउंसिल के विनिश्चय की अपील जिला न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

(२) ऐसी अपील इस अधिनियम की धारा १३८ की उपधारा (४) के अधीन पारित आदेश की तारीख से ३० दिन के भीतर जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.".

(दो) उपधारा (४) का लोप किया जाए.

(१५) धारा १५० का लोप किया जाए.

(१६) धारा १५१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"**१५१. करों के अभिलेखों का संधारण.**—निगम द्वारा करों के अभिलेख सरकार द्वारा विहित रीति में संधारित किए जाएंगे.".

(१७) धारा १५२ का लोप किया जाए.

(१८) धारा १५३ का लोप किया जाए.

(१९) धारा १५४ का लोप किया जाए.

(२०) धारा १५६ का लोप किया जाए.

(२१) धारा १५७ का लोप किया जाए.

(२२) धारा १५८ का लोप किया जाए.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

(१) (एक) धारा ३ में, उपधारा (३७) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(३७-क) "करयोग्य सम्पत्ति मूल्य" से अभिप्रेत है, धारा १२७ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन सम्पत्ति कर का उद्ग्रहण करने के प्रयोजन हेतु, किसी विशिष्ट वर्ष के लिए यथा विहित रीति में संगणित सम्पत्ति का मूल्य.".

(दो) विद्यमान उपधारा (३७-क) को उपधारा (३७-ख) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए.

(२) धारा १२६ में,—

(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''भूमि तथा भवन का करयोग्य संपत्ति मूल्य.'';

(दो) उपधारा (१) में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' तथा शब्द ''निर्मित क्षेत्र (बिल्टअप एरिया)'' के स्थान पर, शब्द ''सन्निर्मित क्षेत्र (कंस्ट्रक्टिड एरिया)'' स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (२) में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं;

(चार) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्वमेव अथवा प्राप्त जानकारी के आधार पर उपधारा (२) के अधीन, किसी भूमि तथा भवन के कर योग्य संपत्ति मूल्य इत्यादि की जांच, परीक्षण, निर्धारण अथवा सत्यापन, कर सकेगा. दोनों ओर के दस प्रतिशत तक फेर-फार को ध्यान में नहीं लिया जाएगा. उन मामलों में जहां फेर-फार दस प्रतिशत से अधिक हो, वहां यथास्थिति, भूमि या भवन का स्वामी उसके द्वारा किए गए स्वयं निर्धारण तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के अंतर के पांच गुने के बराबर शास्ति का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा:

परन्तु मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपधारा (२) के अधीन विगत तीन कर निर्धारण वर्ष तक जमा की गई विवरणी की जांच, परीक्षण, निर्धारण अथवा सत्यापन कर सकेगा.'';

(पांच) उपधारा (४) में पूर्णविराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ उपधारा (३) के अधीन जारी आदेश में मांगी गयी राशि की कम से कम पचास प्रतिशत राशि का भुगतान करने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो.''.

(३) धारा १२७ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''कर'' के पश्चात् शब्द ''तथा फीस'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(दो) उपधारा (१) में,—

(क) शब्द ''कर'' के पश्चात्, शब्द ''तथा फीस'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (क) में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं;

(ग) खण्ड (च) का लोप किया जाए.

(तीन) उपधारा (६) में,—

(क) शब्द ''करों'' के पश्चात्, शब्द ''या फीस'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(ख) खण्ड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ठ) आउटडोर मीडिया उपकरणों के प्रदर्शन के विनियमन के लिए फीस;'';

(चार) उपधारा (८) में, शब्द ''कर'' के पश्चात् शब्द ''तथा फीस'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(४) धारा १२७—ए में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में,—

(क) खण्ड (ख) में तथा उसके परन्तुक में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (च) के परन्तुक में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य सम्पत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं;

(ग) खण्ड (झ) में, शब्द ''पचास प्रतिशत की सीमा तक संपत्ति कर से छूट प्राप्त होगी'' के पश्चात्, शब्द ''तथापि यह छूट तब उपलब्ध होगी यदि संपत्ति कर का संदाय उसी वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाता है जिसमें कर देय है'' जोड़े जाएं.

(५) धारा १२७—ए के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

संपत्ति कर पर छूट.

''१२७-ए ए. (१) धारा १२७-ए की उपधारा (१) तथा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि परिषद् यह ठीक समझे, संकल्प द्वारा निदेशित कर सकेगी कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसी तारीख के पूर्व जैसी कि परिषद् द्वारा नियत की जाए, देय कर का संदाय करता है, उसे देय रकम पर छूट, जो सवा छह प्रतिशत से अधिक न हो, अनुज्ञात की जाएगी:

परन्तु छूट इसके लिए हकदार समस्त व्यक्तियों को समान दर से अनुज्ञात की जाएगी.

(२) परिषद्, इस धारा के अधीन संकल्प का किसी भी समय प्रतिसंहरण कर सकेगी.''.

(६) धारा १२७-ख में, विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किए जाने वाले उपभोक्ता प्रभार.''.

(७) धारा १२९ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''फीस'' के पश्चात्, शब्द ''तथा उपभोक्ता प्रभार'' जोड़े जाएं.

(दो) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द ''फीस'' के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द ''फीस'' के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (२) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द ''फीस'' जहां कहीं भी वह आया हो, के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द ''फीस'' जहां कहीं भी वह आया हो, के पश्चात, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(चार) उपधारा (३) में, शब्द ''फीस'' जहां कहीं भी वह आया हो, के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(८) धारा १३४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''१३४. **करों के अभिलेखों का संधारण.**—नगरपालिका द्वारा करों के अभिलेख सरकार द्वारा विहित रीति में संधारित किए जाएंगे.''.

(९) धारा १३५ का लोप किया जाए.

(१०) धारा १३६ का लोप किया जाए.

(११) धारा १३७ का लोप किया जाए.

(१२) धारा १३८ का लोप किया जाए.

(१३) धारा १३९ में,—

(एक) उपधारा (१) तथा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१) यदि धारा १२६ की उपधारा (४) के अधीन प्रेसिडेंट इन काउंसिल के विनिश्चय पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अपील नगरपालिका क्षेत्र पर आधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग सिविल न्यायाधीश को होगी और यदि नगरपालिका के मुख्यालय पर प्रथम वर्ग का कोई सिविल न्यायाधीश नहीं है, तो इसी प्रकार ऐसे मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले कोई द्वितीय वर्ग सिविल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और यदि ऐसे मुख्यालय पर कोई द्वितीय वर्ग सिविल न्यायाधीश नहीं है, और यदि यथास्थिति, मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले एक से अधिक सिविल न्यायाधीश हों, तो जिला न्यायाधीश विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि किस सिविल न्यायाधीश वर्ग दो को ऐसी अपील की जाएगी.

(२) ''ऐसी अपील धारा १२६ की उपधारा (४) के अधीन पारित आदेश की तारीख से ३० दिन के भीतर सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.''.

(दो) उपधारा (४) का लोप किया जाए.

(१४) धारा १४० का लोप किया जाए.

(१५) धारा १४१ का लोप किया जाए.

(१६) धारा १४२ का लोप किया जाए.

(१७) धारा १४३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"१४३. **जानकारी प्राप्त करने की शक्ति.**—(१) मुख्य नगरपालिका अधिकारी लिखित सूचना-पत्र द्वारा, किसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग के स्वामी या अधिवासी को, ऐसी युक्तियुक्त कालावधि के भीतर, जो कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी नियत करे—

(क) ऐसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिवासी या स्वामी तथा अधिवासी दोनों के निवास स्थान के नाम तथा स्थान के संबंध में; और

(ख) ऐसी भूमि या भवन के माप या कोई सकल वार्षिक भाड़ा या भू-आगम या अन्य विनिर्दिष्ट ब्यौरों या विवरणी या वास्तविक कीमत या प्राक्कलित बाजार मूल्य के संबंध में,

जानकारी देने या उक्त स्वामी या अधिवासी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित विवरणी समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेशित कर सकेगा.

(२) प्रत्येक स्वामी या अधिवासी जिससे कोई ऐसी अध्यपेक्षा की जाए, उसका पालन करने तथा सही जानकारी देने या अपने सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास तक सही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा;

(३) कोई भी जो समुचित कारण के बिना, ऐसी मांग का पालन करने में चूक करता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा जो असत्य हो, किसी ऐसे अन्य दण्ड के अतिरिक्त जिसका वह दायी हो, किसी ऐसे कर निर्धारण के संबंध में जो ऐसी भूमि या भवन के संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किया जाए, जिसका वह स्वामी या अधिवासी हो, आपत्ति करने से विवर्जित रहेगा.".

(१८) धारा १४५ का लोप किया जाए.

(१९) धारा १४६ का लोप किया जाए.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक १२ सन् २०२०) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई कोई बात, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या बात समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को वर्ष २०२०-२१ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.जी.) का २ प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने के लिए कतिपय सुधार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. अतिरिक्त उधार सुगम करने हेतु राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह सम्पत्ति कर के फ्लोर रेट को सर्किल रेट से लिंक करे तथा जल, मलवहन आदि के उपभोक्ता प्रभारों के फ्लोर रेट, ऐसी रीति में अवधारित करे कि वे इन सेवाओं पर उपगत वर्तमान लागत पर आधारित हों. अतएव सम्पत्ति कर का अवधारण कलक्टर के दिशानिर्देशों के अधीन अवधारित सम्पत्तियों के मूल्य के आधार पर प्रस्तावित किए गए हैं.

२. कतिपय राज्यों के अधिनियमों के उपबंधों के आधारित कलक्टर के दिशानिर्देशों के अधीन अवधारित सम्पत्ति के मूल्य को संपत्ति कर की न्यूनतम दरों से लिंक करने, ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' के स्थान पर ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' को स्थापित करने के लिए, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १३२, १३५, १३६ तथा १३८ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ की धारा १२६, १२७ तथा १३४ में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं.

३. माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, ''माल के प्रवेश पर स्थानीय निकाय कर'' से संबंधित, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १३२ की उपधारा (१) का खण्ड (च) अप्रयोज्य हो गया है अतएव, इसका लोप किया जाना प्रस्तावित है तथा धारा १३२ की उपधारा (६) के खण्ड (ठ) के विद्यमान उपबंध ''समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न अन्य विज्ञापनों पर कर'' के स्थान पर ''आउट डोर मीडिया उपकरणों के प्रदर्शन के लिए फीस'' परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है. क्योंकि संविधान के अधीन राज्य सूची से इसका लोप कर दिया गया है. इसी प्रकार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ की धारा १२७ में भी संशोधन प्रस्तावित है.

४. स्वामियों के अधिभोग में उनके निवास के लिए भवन तथा भूमियों पर संपत्ति कर में ५० प्रतिशत तक छूट से संबंधित, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १३६ में, संशोधन किया जाना प्रस्तावित है और इस धारा की ऐसी छूट तब ही प्रदान की जाए जब स्वामी उसी वित्तीय वर्ष के दौरान कर का भुगतान करे जिसमें कर शोध्य हुआ हो. इसी प्रकार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ की धारा १२७-क में भी संशोधन प्रस्तावित है.

५. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ की विभिन्न धाराओं के अधीन संपत्ति कर के स्वनिर्धारण के पुर:स्थापना के कारण अप्रचलित उपबंधों का संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

६. उपभोक्ता प्रभारों को अधिरोपित करने के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १३२ तथा १३३ में तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ की धारा १२९ में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं.

७. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक १२ सन् २०२०) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

८. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १२ फरवरी, २०२१.

भूपेन्द्र सिंह
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा हैं उनका विवरण निम्नानुसार है:—

भाग-एक में खण्ड २ के उपखंड (२) धारा १३९ की कंडिका (तीन) (ख) तथा भाग-दो में खण्ड ३ के उपखंड (३) की कंडिका (तीन) (ख) द्वारा आउटडोर मीडिया उपकरणों के प्रदर्शन के विनियमन के लिये फीस नियत किये जाने,

के संबंध में नियम बनाये जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को वर्ष २०२०-२१ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.जी.) का २ प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने के लिए कतिपय सुधार किए जाने के निर्देश दिए गए थे. अतिरिक्त उधार सुगम करने हेतु राज्य सरकार से अपेक्षा की गई थी कि वह सम्पत्ति कर के फ्लोर रेट को सर्किल रेट से लिंक करें तथा जल, मलवहन आदि के उपभोक्ता प्रभारों के फ्लोर रेट, ऐसी रीति में अवधारित करें कि वे इन सेवाओं पर उपगत वर्तमान लागत पर आधारित हों. अतएव सम्पत्ति कर का अवधारण, कलेक्टर के दिशा-निर्देशों के अधीन अवधारित सम्पत्तियों के मूल्य के आधार पर किया जाए.

२. कतिपय राज्यों के अधिनियमों के उपबंधों के आधार पर कलेक्टर के दिशा-निर्देशों के अधीन अवधारित सम्पत्ति के मूल्य को संपत्ति कर की न्यूनतम दरों से लिंक किया जाए.

३. माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, ''माल के प्रवेश पर स्थानीय निकाय कर'' से संबंधित उपबंध अप्रयोज्य हो जाने तथा;

४. स्वामियों के अधिभोग में उनके निवास के लिए भवन तथा भूमियों पर संपत्ति कर में ५० प्रतिशत तक छूट से संबंधित संशोधन उपभोक्ता प्रभारों को अधिरोपित करने के लिए किये जाने आवश्यक हो गये थे;

५. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश २०२० (क्रमांक १२ सन् २०२०) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ से उद्धरण.

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६

* *

धारा १३२ इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किये जाने वाले कर

(१) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, निगम किसी साधारण या विशेष आदेश जो राज्य सरकार इस निमित्त करें, अध्यधीन रहते हुए संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में या उसके किसी भाग में, निम्नलिखित कर अधिरोपित करेगा, अर्थात्

(क) धारा १३५, १३६ तथा १३८ के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कर, जो नगर के भीतर स्थित भवनों व भूमियों के स्वामियों द्वारा भवन या भूमि के संपूर्ण वार्षिक भाड़ा मूल्य के संबंध में देय होगा, जो संपत्तिकर कहलायेगा.

(च) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर उपयोग या विक्रय के लिए प्रवेश किये गये ऐसे माल पर, जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाये, उसके (माल के) मूल्य के चार प्रतिशत से अनाधिक दर पर स्थानीय निकाय कर:—

परन्तु कोई स्थानीय निकाय कर उस माल पर:—

(एक) जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग या उपभोग के लिए नगरपालिका क्षेत्र में लाया गया है.

(दो) जो रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा नगरपालिक क्षेत्र में लाया गया है और उसके पन्द्रह दिन के भीतर—

(क) किसी अन्य स्थानीय निकाय के रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को, या

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में, या

(ग) राज्य के बाहर अंतर्राज्यिक व्यापार के अनुक्रम में, पारेषित किया है.

(६) उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट करों के अतिरिक्त निगम इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए जिसे राज्य सरकार इस निमित्त पारित करे निम्नलिखित करों में से कोई कर अधिरोपित कर सकेगा, अर्थात्:—

(ठ) समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर.

८ इस धारा के अधीन किसी कर का अधिरोपण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिती के उपबंधों के अध्ययधीन रहते हुए होगा.

धारा १३२. क. १३३

करों तथा फीसों का अधिरोपण.—(१) निगम संकल्प द्वारा, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलनों को अंतिम रूप से अंगीकार करते समय इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी सीमाओं तथा शर्तों के, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाएं, अध्यधीन रहते हुए—

(क) इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट करों या फीसों में से कोई कर या फीस अधिरोपित कर सकेगा, या

(ख) पूर्व में अधिरोपित किये गये करों या फीसों की दरों में वृद्धि कर सकेगा. (२) उपधारा (१) में यथानिर्दिष्ट संकल्प में निम्नलिखित बातें अंतर्विष्ट होंगी—

(२) (क) किसी कर या फीस के अधिरोपण के मामले में वे उपबंध जिनके अधीन ऐसा कर या फीस अधिरोपित की जा रही है, ऐसे व्यक्तियों का वर्ग जिन पर या ऐसी सम्पत्ति का विवरण जिस पर कर लगाया जाना है, अधिरोपित किये जा रहे कर या फीस की रकम या दर, कर निर्धारण तथा कर संग्रहण की अंगीकृत की जाने वाली प्रणाली और वह तारीख जिससे ऐसे कर या फीस का अधिरोपण प्रभावी होगा.

(ख) किसी कर या फीस की दर में वृद्धि के मामले में, ऐसे कर या फीस की प्रचलित दर, ऐसे कर या फीस में प्रस्तावित बढ़ाई जाने वाली दर और वह तारीख जिससे ऐसे कर या फीस की दर में वृद्धि प्रभावी होगी.

(३) इस प्रकार पारित किया गया संकल्प यथास्थिति, नये कर या फीस के अधिरोपण का या किसी कर या फीस की दर में वृद्धि का निश्चायक साक्ष्य होगा:

परन्तु यदि निगम के किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पूरक कराधान का विनिश्चय करता है तो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी सीमाओं तथा शर्तों के, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाएं, अध्यधीन रहते हुए उस तारीख से कर सकेगा जिसको कि निगम ऐसा संकल्प करें.

* * *

धारा १३५ सम्पत्तिकर का अधिरोपण

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा १३२ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन कर ऐसी दर पर जो कि वार्षिक भाड़ा मूल्य के छ: प्रतिशत से कम तथा दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, प्रभारित, उदग्रहित तथा संदत किया जाएगा जैसा कि निगम द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अवधारित किया जाए:

(परन्तु यदि निगम ३१ मार्च तक सम्पत्ति कर की दर अवधारित करने में चूक करता है, तो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान विद्यमान दर ही चालू वित्तीय वर्ष के लिये दर समझी जाएगी)

१३६ छूट धारा १३५ के अधीन उद्गृहीत किया गया सम्पत्ति कर निम्नलिखित सम्पत्तियों के संबंध में उद्गृहणीय नहीं होगा, अर्थात्:—

(बी) भवन तथा भूमियाँ जिनका वार्षिक मूल्य (छह हजार रुपये ऐसे नगरपालिक क्षेत्र की दशा में, जिसकी जनसंख्या एक लाख या उससे अधिक जो तथा चार हजार आठ सौ रुपये ऐसे नगरपालिक क्षेत्र की दशा में, जिसकी जनसंख्या एक लाख से कम हो):

परन्तु, यदि कोई ऐसा भवन या भूमि किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में हो, जो उसी नगर में किसी अन्य भवन या भूमि का स्वामित्व रखता हो, तो इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये, उस नगर में उसके स्वामित्व के समस्त भवनों या भूमियों का संकलित वार्षिक मूल्य ऐसे भवन या भूमि का वार्षिक मूल्य समझा जाएगा.

(एफ) भवन तथा भूमियों जो विधवाओं या अवस्यकों या ऐसे व्यक्तियों के, जो कि ऐसी शारीरिक नि:शक्तता या मानसिक दौर्बल्यता के अध्यधीन हों, जिनके कारण वे अपनी आजीविका उपार्जित करने में असमर्थ हों, स्वामित्व की हों, जहां कि ऐसी विधवाओं या अवयस्कों या व्यक्तियों के भरण-पोषण का प्रमुख स्त्रोत ऐसे भवनों तथा भूमियों से व्युत्पन्न भाड़ा हो:

परन्तु ऐसी छूट ऐसे भवनों तथा भूमियों के वार्षिक मूल्य के केवल प्रथम (बारह हजार रुपये) से संबंधित होगी.

(आई) भवन तथा भूमियों भू-स्वामियों के निवास हेतु उसके दखल में हो पचास प्रतिशत की सीमा तक संपत्ति कर से छूट प्राप्त होगी.

* * *

१३८ **भूमि या भवन का वार्षिक भाड़ा मूल्य**

(१) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि या भवन का, चाहे उससे आमदनी होती है या नहीं, भाड़ा मूल्य यथास्थिति, किसी भवन या भूमि के निर्मित क्षेत्र (बिल्टअप एरिया) प्रतिवर्ग मीटर के आधार पर उस क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा भवन या भूमि स्थित है, उसकी अवस्थिति, स्थिति, वह प्रयोजन जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, उसका लाभप्रद उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए उसकी

(भवन/भूमि की) क्षमता भवन के सन्निर्माण का गुणवत्ता तथा सुसंगत तथ्यों पर विचार करते हुए और ऐसे नियमों के, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएँ, अध्यधीन रहते हुए इस निमित्त अंगीकृत किए गए निगम के संकल्प के अनुसार अवधारित किया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन निगम द्वारा अंगीकृत किए गए संकल्प के आधार पर, भूमि या भवन का प्रत्येक स्वामी, अपनी भूमि या भवन का वार्षिक भाड़ा मूल्य निर्धारित करेगा तथा इस निमित्त विहित प्रारूप में एक विवरणी के साथ संपत्ति कर की रकम, निगम द्वारा नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व जमा करेगा जिसमें असफल रहने पर, ऐसी दर से अधिभार जैसा कि निगम द्वारा अवधारित किया जाए, प्रभारित किया जाएगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन किए गए कर निर्धारण में किसी ओर दस प्रतिशत तक के फेरफार को ध्यान में नहीं लिया जाएगा. उन मामलों में जहाँ फेरफार दस प्रतिशत से अधिक हो, वहाँ यथास्थिति भूमि या भवन का स्वामी ऐसी शस्ति का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा, जो ऐसी स्वामी द्वारा किए गए स्वयं निर्धारण तथा निगम द्वारा किए गए निर्धारण के अंतर के पाँच गुने के बराबर होगी.

(४) उपधारा (३) के अधीन पारित किए गए आदेशों के विरुद्ध अपील २ (मेयर-इन-कौंसिल) को होगी.

* * * *

१४३ वार्षिक मूल्य का निर्धारण तथा कर निर्धारण की अवधि

(१) नगर के भीतर स्थित किसी भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य को, जैसा कि वह मध्यप्रदेश नगरीय स्थावर सम्पत्ति-कर अधिनियम, १९६४ (क्रमांक १४ सन् १९६४) के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अवधारित किया गया हो और जो १ अप्रैल सन् १९७६ के ठीक पूर्व उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवृत्त हो, ऐसी भूमि या भवन पर इस अधिनियम के अधीन संपत्ति कर के निर्धारण के लिये वार्षिक मूल्य उस समय तक समझा जाएगा जब तक कि आयुक्त उसमें (नगर में) स्थित भूमियों तथा भवनों का इस अधिनियम के अधीन नवीनतः मूल्यांकन न करें तथा वार्षिक मूल्य अवधारित न करे और ऐसी भूमि या भवन का वार्षिक मूल्य एक वर्ष की कालावधि तक अपरिवर्तित रहेगा तथा उसके पश्चात् आयुक्त द्वारा एक वर्ष की आनुक्रमिक कालावधि के समाप्त होने पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा.

(२) आयुक्त प्रतिवर्ष नवीन कर निर्धारण के स्थान पर विद्यमान कर निर्धारण को ऐसे परिवर्तन सहित, जैसा कि वह उचित समझे, प्रत्येक नवीन वर्ष के कर निर्धारण के रूप में अंगीकार कर सकेगा और ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसे परिवर्तनों द्वारा प्रभावित हो, परिवर्तित मूल्यांकन तथा कर निर्धारण का वैसा ही सूचना-पत्र देगा, जो नवीन कर निर्धारण तैयार किए जाने की दशा में आवश्यक होता.

(३) आयुक्त, कर निर्धारण के आशयों के लिए (मेयर-इन-कौंसिल) की पूर्व सहमति से, किन्हीं ऐसे छोटे-छोटे क्षेत्रों, को छोड़कर, जिनका किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में अधिक सुविधापूर्वक कर-निर्धारण किया जा सके, पाँच वर्ष में कम से कम एक बार नगर के प्रत्येक भाग के सर्वेक्षण के लिए व्यवस्था करेगा.

१४४ मूल्यांकन के आशयों के लिए विवरण-पत्र

(१) अपने को कर निर्धारण सूची तैयार करने में समर्थ बनाने के लिये, आयुक्त लिखित सूचना-पत्र द्वारा, किसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग के स्वामी या अधिवासी को, ऐसे समुचित काल के भीतर, जो कि आयुक्त नियत करे;

(अ) ऐसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिवासी या स्वामी तथा अधिवासी दोनों के निवास स्थान के नाम तथा स्थान के संबंध में; और

(आ) ऐसी भूमि या भवन के माप या कोई वार्षिक भाड़ा या अन्य निर्दिष्ट ब्यौरों के विवरण या वास्तविक लागत अथवा अनुमानित बाजार मूल्य के संबंध में, जानकारी देने या उक्त स्वामी या अधिवासी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित विवरण-पत्र अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेशित कर सकेगा.

(२) प्रत्येक ऐसी स्वामी या अधिवासी जिससे कोई ऐसी मांग की जावे, उसका पालन करने तथा सही जानकारी देने या अपने पूर्णतम ज्ञान तथा विश्वास तक सही विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये आबद्ध होगा.

(३) कोई भी जो समुचित कारण के बिना, ऐसी मांग का पालन नहीं करेगा या ऐसी विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा जो असत्य हो, किसी ऐसे अन्य दण्ड के अतिरिक्त जिसका वह भागी हो, किसी ऐसे कर निर्धारण के संबंध में जो ऐसी भूमि या भवन के संबंध में आयुक्त द्वारा किया जावे, जिसका वह स्वामी या अधिवासी हो आपत्ति नहीं कर सकेगा.

१४५ **सार्वजनिक सूचना तथा मूल्यांकनों का निरीक्षण**

(१) जब धारा १४३ के अधीन किसी हल्के में स्थित भूमियों तथा भवनों का मूल्यांकन पूर्ण किया जा चुका हो, तो आयुक्त संबंधित मूल्यांकनों को एक सूची में प्रविष्ट कराएगा और उस स्थान के संबंध में सार्वजनिक सूचना देगा जहाँ ऐसी सूची का निरीक्षण किया जा सके.

मूल्यांकन के विरुद्ध शिकायत करने के लिए समय

(२) आयुक्त, उसी समय तथा उसी रीति में किसी ऐसे दिनांक के संबंध में, सार्वजनिक सूचना देगा जो ऐसा सूचना-पत्र प्रकाशित होने के दिनांक से ३० दिन से कम न हो, जब तक कि किसी वार्षिक मूल्य के धन या अन्य विवरणों के संबंध में, जो कर निर्धारण सूची में प्रविष्ट किए गए हों; आपत्तियाँ उसके कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेंगी.

१४६ **उस दशा में सूचना-पत्र जब प्रथम बार किए गए मूल्यांकन में वृद्धि हो जावे**

(१) आयुक्त, ऐसी समस्त दशाओं में, जिनमें किसी भूमि या भवन का प्रथम बार ही मूल्यांकन किया गया हो, या जिनमें पूर्व में ही मूल्यांकित किसी भूमि या भवन के मूल्यांकन में धारा १४३ के अधीन वृद्धि हो गई हो, उसके स्वामी या अधिवासी को इस संबंध में विशेष सूचना-पत्र देगा, और जब मूल्यांकन की इस प्रकार वृद्धि हो जावे तो उक्त सूचना-पत्र में ऐसी वृद्धि के आधारों से संबंधित एक वृत्तान्त-पत्र होगा.

१४७ **मूल्यांकन विषयक आपत्ति से संबंधित सूचना-पत्र**

(१) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किए गए मूल्यांकन से असंतुष्ट हो, ऐसा लिखित सूचना-पत्र नगरपालिक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा जिसमें ऐसे मूल्यांकन के संबंध में उसकी आपत्ति के आधारों का कथन हो.

(२) ऐसा सूचना-पत्र, ऐसे दिनांक को या उससे पूर्व दिया जाएगा जो धारा १४४ या १४६ में उल्लिखित सार्वजनिक सूचना-पत्र में इस संबंध में नियत किया जावे.

१४८ **आयुक्त द्वारा आपत्तियों की जांच**

(१) ऐसी समस्त आपत्तियों की प्रविष्टि इस आशय के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में की जाएगी और किसी आपत्ति के प्राप्त होने पर आयुक्त, आपत्तिकर्ता को ऐसे समय तथा स्थान के संबंध में लिखित रूप में एक सूचना-पत्र देगा, जहाँ उसकी आपत्ति की जांच की जावेगी.

(२) इस प्रकार नियत किए गए समय तथा स्थान पर आयुक्त, आपत्तिकर्ता या उसके प्राधिकृत कार्य प्रतिनिधि की उपस्थिति में, यदि वह उपस्थित हो, आपत्ति की सुनवाई करेगा, या समुचित कारण के लिए जांच स्थगित कर सकेगा.

(३) जब आपत्ति क निरूपण हो जावे, तो ऐसी आपत्ति के संबंध में दी गई आज्ञा रजिस्टर में लेख्यांकित की जाएगी और यदि आवश्यक हो, तो कर-निर्धारण सूची में आपत्ति के परिणाम के अनुसार संशोधन किया जाएगा.

१४९ जिला न्यायालयों को अपील

(१) यदि किसी भूमि या भवन के कर-निर्धारण के लिए भागी होने के संबंध में अथवा कर-निर्धारण के आधार या सिद्धांत के संबंध में या निर्धारित कर की धनराशि के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो नगरपालिक आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध अपील जिला न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी जिसका निर्णय अंतिम होगा.

(२) जिला न्यायालय को ऐसी अपील धारा १४८ के अधीन दी गई आज्ञा दिनांक से ३० दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी तथा उसके साथ आपत्तियों के रजिस्टर से लिया गया उद्धरण संलग्न किया जाएगा जिसमें वह आज्ञा, जिसके संबंध में आपत्ति की गई हो, सम्मिलित होगी.

(३) इंडियन लिमिटेशन एक्ट, १९०८ के दूसरे तथा तीसरे भागों के आदेश, जो अपीलों से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक अपील से लागू होंगे.

(४) इस धारा के अधीन कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक आपत्ति का धारा १४८ के अधीन निरूपण न हो चुका हो.

(५) जिला न्यायालय का निर्णय नगरपालिक आयुक्त द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा.

(६) इस धारा के अधीन किसी अपील की अनिर्णीत स्थिति अपील के अधीन कर-निर्धारण की आज्ञानुसार किसी भवन या भूमि के संबंध में देय किसी कर या उसकी अंशिका की वसूली को न तो विलम्बित करेगी और न रोकेगी किन्तु यदि अपील में किए गए अंतिम निर्णय द्वारा या निरूपित किया जावे कि ऐसा कर या अंशिका पूर्णत: या अंशत: वसूल नहीं की जानी चाहिए, तो आयुक्त उस व्यक्ति को जिससे उक्त कर वसूल किया गया है, ऐसे कर या अंशिका का धन या वसूली योग्य धन से अधिक होने वाला अतिरिक्त धन, जैसी भी दशा हो, वापस कर देगा.

१५० **मूल्यांकर कब अंतिम होगा**

(१) धारा १४३ के अधीन आयुक्त द्वारा किया गया प्रत्येक मूल्यांकन धारा १४८ तथा १४९ के आदेशों के पालन के अधीन अंतिम होगा.

(२) धारा १४८ के अधीन आयुक्त द्वारा दी गई प्रत्येक आज्ञा धारा १४९ के आदेशों के पालन के अधीन अंतिम होगी.

१५१ **नगरपालिक कर-निर्धारण सूची का रखा जाना**

(१) इस अध्याय के अधीन नियत वार्षिक मूल्य की प्रविष्टि इस आशय के लिए हल्कानुसार या किसी अन्य रीति में रखे जाने वाले एक या अधिक रजिस्टर में की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित बातें भी लेखबद्ध की जाएगी:—

(अ) उपान्तों के प्रत्येक समूह का क्रमांक;

(आ) उपान्तों के प्रत्येक समूह का वर्णन;

(इ) स्वामी का नाम तथा निवास-स्थान तथा अधिवासी का नाम;

(ई) मूल्यांकन की धनराशि;

(उ) सम्पत्ति-कर के कारण देय धनराशि;

(ऊ) उक्त कर के भुगतान में प्रदान की गई कोई छूट; तथा

(ए) अन्य ऐसे विवरण जिनका आयुक्त निर्देश दें.

(२) उप-धारा (१) में उल्लिखित विवरण इतने रजिस्टरों में समाविष्ट किएं जा सकेंगे जितने आयुक्त निश्चित करे, जिनसे मिलकर कर-निर्धारण सूची की रचना होगी.

(३) जब किन्हीं उपान्तों के स्वामी या अधिवासी का नाम ज्ञात न हो तो उक्त कर-निर्धारण सूची में उसे "स्वामी या अधिवासी" के नाम से, जैसी भी दशा हो, लिखना यथेष्ट होगा.

१५२ **समस्त आपत्तियों का निराकरण किया जाने के पश्चात् कर-निर्धारण सूची का प्रमाणीकरण**

(१) जब समस्त आपत्तियों का निरूपण किया जा चुका हो तथा अपीलों का निराकरण हो चुका हो और धारा १५१ द्वारा अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जा चुकी हों, तो आयुक्त द्वारा कर-निर्धारण सूची का प्रमाणीकरण किया जाएगा जो अपने हस्ताक्षर के अधीन यह प्रमाणित करेगा कि केवल उन प्रकरणों के अतिरिक्त, जिनमें बतलाए गए रूप में उसमें संशोधन किए गए हैं, उक्त सूची में प्रविष्टि वार्षिक मूल्यों के संबंध में कोई भी वैध आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है.

(२) तदुपरान्त उक्त कर-निर्धारण सूची ऐसे परिवर्तनों के पालन के अधीन, जो उसमें उसके पश्चात् धारा १४९ की उपधारा (५) के या धारा १५३ के आदेशों के अधीन किए जाएं, उस वित्तीय वर्ष में, जिससे सूची संबंधित हो, नगर के भीतर प्रत्येक भूमि या भवन पर वसूली-योग्य सम्पत्ति-कर की धनराशि की अकाट्य प्रमाण होगी.

१५३ **कर-निर्धारण सूची संशोधित करने की आयुक्त की शक्ति**

(१) आयुक्त किसी भी समय किसी भी विषय को सम्मिलित करके, परित्यक्त करके या स्थापित करके कर-निर्धारण सूची को संशोधित कर सकेगा:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब वह अंकीय योग को सही करने के अतिरिक्त अन्य किसी विषय के संबंध में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव करे, तो वह संशोधन करने से पूर्व उसमें हित रखने वाले व्यक्तियों को उस संबंध में सूचना-पत्र भेजेगा और प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई भी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए ३० दिवस का समय देगा.

यह प्रतिबंध और है कि ऐसी उपधारा की कोई भी बात किन्हीं भी उपान्तों के मूल्यांकन को, जो जिला न्यायालय को अपील करने पर निरूपित किया गया हो परिवर्तित करने के लिए आयुक्त को सशक्त नहीं करेगी.

(२) यदि अंकीय योग को सही करने के अतिरिक्त अन्य किसी विषय के संबंध में कोई संशोधन किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति जिस पर सूचना-पत्र का निर्वाह किया जाए, लिखित आवेदन-पत्र द्वारा, जो आयुक्त को संबोधित किया जाएगा तथा उक्त सूचना-पत्र में नियत दिनांक से पूर्व निगम कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा, आपत्ति कर सकेगा और धारा १४८ तथा १४९ के आदेश समस्त आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी आपत्ति से लागू होंगे.

(३) कर-निर्धारण सूची पूर्ण हो जाने के पश्चात् जब नवीन भवन का निर्माण पूर्ण हो जाए, तो आयुक्त भवन के विवरण सूची में बढ़ा सकेगा और ऐसे प्रकरण में, केवल इसके अतिरिक्त कि किसी सार्वजनिक सूचना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, धारा १४५, १४७, १४८, १४९ तथा १५२ के आदेश लागू होंगे. ऐसे प्रकरण में कर-निर्धारण उस दिनांक के पश्चात् आने वाली तिमाही के प्रारंभ से जिसको भवन कर-निर्धारण सूची में अंकित कर लिया जाए, या उस दिनांक से, जब वह अधिवास में आ जाए या भाड़े पर दे दिया जाए, यदि वह पूर्वतर हो, प्रभावशील होगा.

१५४ भाड़े की वृद्धि का सूचना-पत्र

(१) जब स्वामी ने ऐसी जानकारी या लिखित विवरण-पत्र जैसा धारा १४४ द्वारा आदिष्ट है, प्रस्तुत कर दिया हो, तो वह आयुक्त को भाड़े में हुई किसी पश्चात्वर्ती वृद्धि का लिखित सूचना-पत्र देगा.

(२) यदि किसी भूमि या भवन या उसके भाग का स्वामी, उस पर कर निर्धारित किए जाने के पश्चात् उसके भाड़े में कोई वृद्धि कर दे, तो वह ऐसी वृद्धि का आयुक्त को लिखित सूचना-पत्र देगा.

(३) भाड़े की वृद्धि संबंधी ऐसे सूचना-पत्र के प्राप्त होने पर आयुक्त ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग के कर-निर्धारण को परिवर्तित करके कर-निर्धारण सूची को धारा १५३ द्वारा आदिष्ट के रूप में संशोधित कर सकेगा.

*　　*　　*　　*　　*

१५६ भाड़े की वृद्धि का सूचना-पत्र का न दिया जाना

(१) कोई भी जो धारा १५४ की उपधारा (१) तथा (२) द्वारा अपेक्षित भाड़े की वृद्धि का सूचना-पत्र न देगा या भाड़े की वृद्धि का ऐसा सूचना-पत्र देगा जो सारतः असत्य हो, किसी भी दण्ड के अतिरिक्त, जिसका वह भागी हो, ऐसी वृद्धि के फलस्वरूप ऐसे भवन या भूमि या उसके किसी भाग के संबंध में, जिसका वह स्वामी हो, आयुक्त द्वारा किए गए किसी कर-निर्धारण के संबंध में आपत्ति करने से वंचित कर दिया जाएगा.

१५७ काल जिसके लिए संशोधित मूल्यांकन प्रभावशील रहेगा

(१) जब धारा १४७ के अधीन की गई आपत्ति के परिणामस्वरूप किसी भूमि या भवन का मूल्यांकन संशोधित कर दिया जाए, या धारा १४९ के अधीन अपील प्रस्तुत कर दी जाए, तो संशोधित मूल्यांकन उसी रीति में तथा उसी काल के लिए और उन्हीं प्रतिबंधों के पालन के अधीन कि जिस रीति में जिस काल के लिए तथा जिन प्रतिबंधों के पालन के अधीन मूल्यांकन प्रभावशील हो, उस तिमाही से प्रभावशील होगा, जिसमें प्रथम मूल्यांकन प्रभावित होता.

१५८ मूल्यांकनों संबंधी आपत्तियों द्वारा सम्पत्ति-कर का भुगतान किस सीमा तक प्रभावित होगा

(१) जब मूल्यांकन के संबंध में धारा १४७ के अधीन आपत्ति प्रस्तुत की जा चुकी हो, तो सम्पत्ति-कर, आपत्ति का अंतिम निरूपण हो जाने तक पूर्व मूल्यांकन पर दिया जाएगा.

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९६१

* * * *

धारा १२६ भूमि या भवन का वार्षिक भाड़ा मूल्य

(१) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भूमि या भवन का, चाहे उससे आमदनी होती है या नहीं, भाड़ा मूल्य, यथास्थिति किसी भवन या भूमि के निर्मित क्षेत्र (बिल्टअप एरिया) के प्रतिवर्ग मीटर के आधार पर उस क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा भवन या भूमि स्थित है, उसकी अवस्थिति, स्थिति, वह प्रयोजन जिसके लिये उसका उपयोग किया जाता है, उसका लाभप्रद उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए उसकी (भवन/भूमि की) क्षमता, भवन के सुनिर्माण की गुणवत्ता तथा अन्य सुसंगत तथ्यों पर विचार करते हुए और ऐसे अन्य नियमों के, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बनाये जाये अध्यधीन रहते हुए इस निर्मित अंगीकृत किये गये परिषद् के संकल्प के अनुसार अवधारित किया जायेगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन परिषद् द्वारा अंगीकृत किये गये संकल्प के आधार पर, भूमि या भवन का प्रत्येक स्वामी, अपनी भूमि या भवन का वार्षिक भाड़ा मूल्य निर्धारित करेगा तथा इस निमित्त विहित प्रारूप में विवरणी के साथ सम्पत्तिकर की रकम परिषद् द्वारा नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व जमा करेगा जिसमें असफल रहने पर, ऐसी दर से अधिभार, जैसा कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाये, प्रभारित किया जायेगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन किए गए कर निर्धारण में दस प्रतिशत तक के फेरफार को ध्यान में नहीं लिया जाएगा. उस दिशा में जहाँ फेरफार दस प्रतिशत से अधिक हो, वहाँ यथास्थिति, भूमि या भवन का स्वामी, उसके स्वयं के द्वारा किए गए निर्धारण और परिषद् द्वारा किए गए निर्धारण के पांच गुना के बराबर शस्ति भुगतान करने का दायी होगा.

(४) उपधारा (३) के अधीन पारित किए गए आदेशों के विरुद्ध अपील प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल को होगी.

१२७ इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किए जाने वाले कर

(१) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, परिषद् किसी साधारण या विशेष आदेश जो राज्य सरकार इस निमित्त करें, अध्यधीन रहते हुए संपूर्ण नगरपालिक क्षेत्र में या उसके किसी भाग में, निम्नलिखित कर अधिरोपित करेगा, अर्थात्:—

(क) धारा १२६, १२७-क तथा १२९ के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कर, जो नगर के भीतर स्थित भवनों या भूमियों के स्वामियों द्वारा भवन या भूमियों के संपूर्ण वार्षिक भाड़ा मूल्य के संबंध में देय होगा, जो सम्पत्तिकर कहलाएगा.

(च) नगरपालिक क्षेत्र के भीतर उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये प्रवेश किए गए ऐसे माल पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाए, उसके (माल के) मूल्य के चार प्रतिशत से अनाधिक दर पर स्थानीय निकाय कर परन्तु कोई स्थानीय निकाय कर उस माल पर उद्गृहित नहीं किया जायेगा.

(एक) जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत् उपयोग या उपभोग के लिये नगरपालिका क्षेत्र में लाया गया है.

(दो) जो रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में लाया गया है और उसके पंद्रह दिन के भीतर—

(क) किसी अन्य स्थानीय निकाय के रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को, या

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में या

(ग) राज्य के बाहर अंतर्राज्यिक व्यापार के अनुक्रम में पारेषित किया गया है.

(६) उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट करों के अतिरिक्त परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित करों में से कोई कर अधिरोपित कर सकेगा, अर्थात् :—

(ठ) समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर.

(८) इस धारा के अधीन किसी कर का अधिरोपण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिती के उपबंधों के अध्ययधीन रहते हुए होगा.

धारा १२७ (क) सम्पत्तिकर का अधिरोपण—

(१) इस अधिनियमिति में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा १२७ के उपधारा (१) के खंड (एक) के अधीन कर ऐसे दर जो कि वार्षिक भाड़ा मूल्य के छः प्रतिशत से कम तथा दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, प्रभारित उद्ग्रहीत तथा संदत्त किया जायेगा, जैसा कि परिषद् द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अवधारित किया जाए.

परन्तु यह कि यदि परिषद् ३१ मार्च तक संपत्तिकर अवधारित करने में चूक करती है तो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान विद्यमान दर, चालू वित्तीय वर्ष के लिये भी दर समझी जाएगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन उद्ग्रहीत किया गया सम्पत्तिकर निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में उद्ग्रहणीय नहीं होगा, अर्थात्:—

(ख) भवन तथा भूमियाँ जिनका वार्षिक भाड़ा मूल्य (छह हजार रुपये ऐसे नगर पालिक क्षेत्र की दशा में, जिसकी जनसंख्या एक लाख या उसके अधिक हो तथा चार हजार आठ सौ रुपये ऐसे नगरपालिका क्षेत्र की दशा में, जिसकी जनसंख्या एक लाख से कम हो), से अधिक न हो परन्तु, यदि कोई ऐसा भवन या भूमि किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में हो, जो उसी नगरपालिका में किसी अन्य भवन या भूमि का स्वामित्व रखता हो, तो इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये, उस नगरपालिका में उसके स्वामित्व के समस्त भवनों या भूमियों का संकलित वार्षिक भाड़ा मूल्य ऐसे भवन या भूमि का वार्षिक भाड़ा मूल्य समझा जाएगा.

(च) भवन तथा भूमियाँ जो विधवाओं या अवस्यकों या ऐसे व्यक्तियों के, जो कि ऐसी शारीरिक निःशक्तता या मानसिक दौर्बल्यता के अध्यधीन हों, जिनके कारण वे अपनी आजीविका उपार्जित करने में असमर्थ हों, स्वामित्व की हों, जहां कि ऐसी विधवाओं या अवयस्कों या व्यक्तियों के भरण-पोषण का प्रमुख स्रोत ऐसे भवनों तथा भूमियों से व्युत्पन्न भाड़ा हो:

परन्तु ऐसी छूट ऐसे भवनों तथा भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य के केवल प्रथम (बारह हजार रुपये) से संबंधित होगी.

(झ) भवन तथा भूमियाँ जो स्वामी के निवास हेतु उसके दखल में हो, पचास प्रतिशत की सीमा तक संपत्ति कर से छूट प्राप्त होगी.

१२७-ख उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण

* * * * *

१२९ करों तथा फीसों का अधिरोपण

(१) परिषद्, संकल्प द्वारा, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट प्राक्कलनों को अंतिम रूप से अंगीकार करते समय, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी सीमाओं तथा शर्तों के, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाएं, अध्यधीन रहते हुए.—

(क) इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट करों या फीसों में से कोई कर या फीस अधिरोपित कर सकेगी या

(ख) पूर्व में अधिरोपित किए गए करों या फीसों की दरों में वृद्धि कर सकेगी.

(२) उपधारा (१) में यथानिर्दिष्ट संकल्प में निम्नलिखित बातें अंतर्विष्ट होंगी—

(क) किसी कर या फीस के अधिरोपण के मामले में वे उपबंध जिनके अधीन ऐसा कर या फीस अधिरोपित की जा रही है, ऐसे व्यक्तियों का वर्ग, जिन पर या ऐसी संपत्ति का विवरण जिस पर कर लगाया जाना है, अधिरोपित किए जा रहे कर या फीस की रकम या दर, कर निर्धारण तथा कर-संग्रहण की अंगीकृत की जाने वाली प्रणाली और वह तारीख जिससे ऐसे कर या फीसफीस का अधिरोपण प्रभावी होगा.

(ख) किसी दर या फीस की दर में वृद्धि के मामले में, ऐसे कर या फीस की प्रचलित दर, ऐसे कर या फीस में प्रस्तावित बढ़ाई जाने वाली दर और वह तारीख जिससे ऐसे कर या फीस की दर में वृद्धि प्रभावी होगी.

(३) इस प्रकार पारित किया गया संकल्प यथास्थिति नए कर या किसी कर या फीस की दर में वृद्धि का निश्चायक साक्ष्य होगा—

परन्तु यदि परिषद् किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पूरक कराधान का विनिश्चय करती है तो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी सीमाओं तथा शर्तों के जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त की जाये अध्ययधीन रहते हुए उस तारीख से कर सकेगी जिसको कि परिषद् संकल्प करें.

* * * *

१३४ निर्धारण सूची का तैयार किया जाना

(१) जब भवनों या भूमियों या दोनों पर कर अधिरोपित किया जाए, तब मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका में स्थित सभी भवनों या भूमियों या भूमियों तथा भवनों की एक निर्धारण-सूची तैयार करवाएगा जिसमें निम्नलिखित बातें अन्तर्विष्ट होंगी—

(क) उस पथ या खण्ड का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है;

(ख) संपत्ति का वर्णन जो उसकी पहचान के लिये पर्याप्त हों;

(ग) स्वामी या अधिभोगी का नाम, यदि ज्ञात हो;

(घ) यथास्थिति पूंजी या वार्षिक भाटक मूल्य पर आधारित मूल्यॉकन, जिस पर संपत्ति का निर्धारण किया गया है;

(ङ) कर की वह दर जो लागू हो;

(च) उस पर निर्धारित कर की रकम;

(छ) यदि संपत्ति को कर से छूट दी गई है, तो उस प्रभाव का एक टिप्पण.

(२) भवनों या भूमियों पर कर निर्धारण करते समय जहां उपधारा (१) के खण्ड (घ) के अधीन यथा-अवधारित मूल्यांकन वार्षिक भाटक-मूल्य हो, वहां मरम्मत या किसी अन्य मद्दे, चाहे वह कुछ भी हो, मौक के बदले उसमें से इतनी राशि कम कर दी जाएगी जो उक्त मूल्यांकन के दस प्रतिशत के बराबर हो.

(३) ऐसी निर्धारण-सूची तैयार करने के प्रयोजन के लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके प्रधिकार के अधीन कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नगरपालिका में के किसी भवन या भूमि का निरीक्षण कर सकेगा र मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अध्यपेक्ष की जाने पर किसी भी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी, ऐसे युक्तियुक्त कालावधि के भीतर, जैसी अध्यक्षेप में विनिर्दिष्ट की जाए, अपने सर्वोतम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार ऐसे भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी या दोनों के नाम तथा निवास स्थान और वार्षिक भाटक मूल्य तथा ऐसे भवन या भूमि के मूल्य के प्राक्कलन की सही विवरणी, जो उसके द्वारा सम्यकरुप से हस्ताक्षरित होगी, प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा.

१३५ **नाम न मालूम होने पर दायी व्यक्तियों को किस प्रकार अभिहित किया जाएगा—**

(१) जब किन्हीं परिसरों के संबंध में भवनों या भूमियों या दोनों पर कर संदाय के लिये प्रथमत: दायी व्यक्ति का नाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, तब उसे निर्धारण-सूची में कोई वर्णन दिए बिना ऐसी परिसरों के ''धारक'' के रुप में अभिहित किया जाना और उक्त व्यक्ति पर कोई ऐसी सूचना तामील करना, जिसकी तामील इस अधिनियम के अधीन की जाना आवश्यक है, पर्याप्त होगा.

(२) यदि, ऐसे किसी मामले में परिसरों का अभिधारी कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी देने में असफल रहता है तो यह अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि पूर्वोक्तनुसार प्रथमत: कौन दायी है, तो ऐसा व्यक्ति जब तक मुख्य नगरपालिका अधिकारी को उक्त जानकारी उपलब्ध नहीं करा दी जाती है तब तक उन परिसरों पर, जिन पर वह अधिभोग रखता है, उद्‌गृहणीय समस्त करों के लिये जो भवनों या भूमियों या दोनों के संबंध में हो, स्वयं दायी होगा.

१३६ **निर्धारण-सूची की सूचना का प्रकाशन—**

(१) निर्धारण-सूची पूर्णत: तैयार हो जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी उसकी तथा उस स्थान की, जहां वह सूची या उसकी प्रतिलिपि का निरीक्षण किया जा सकेगा, सार्वजनिक सूचना देगा; और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो सूची में सम्मिलित संपत्ति का स्वामी या अधिभोगी होने का दावा करता है, तथा ऐसे व्यक्ति का कोई अभिकर्त्ता जो उसके द्वारा लिखित में सम्यक्‌रूप से प्राधिकृत किया गया है, उस सूची का नि:शुल्क निरीक्षण कर सकेगा तथा उसमें से उद्धरण ले सकेगा.

१३७ आपत्ति दाखिल करने के लिए नियत समय की सार्वजनिक सूचना

(१) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, धारा १३६ के अधीन निर्धारण-सूची के प्रकाशन के समय उस तारीख की, जो ऐसी सूचना के प्रकाशन के तीस दिन पूर्व की नहीं होगी, जिस तक ऐसी सूचियों में के मूल्यांकन या निर्धारण के संबंध में आपत्तियाँ उसके कार्यालय में परिदत्त की जा सकेगी, सार्वजनिक सूचना देगा.

(२) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें संपत्ति पर प्रथम बार निर्धारण किया गया है या संपत्ति के मूल्यांकन में वृद्धि होने के परिणामस्वरुप निर्धारण में वृद्धि की गई है, संपत्ति के स्वामी या अधिभोगी को, यदि वह ज्ञात है, उसकी विशेष सूचना देगा और यदि संपत्ति का स्वामी या अधिभोगी ज्ञात नहीं है, तो वह ऐसी सूचना संपत्ति के सहजदृश्य स्थान पर चिपकवा देगा.

(३) इस अध्याय के अधीन किए गए मूल्यांकन या निर्धारण से असंतुष्ट कोई व्यक्ति, ऐसे मूल्यांकन या निर्धारण के बारे में आधार कथित करते हुए अपनी आपत्ति उपधारा (१) या (२) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना में इस निमित्त नियत अंतिम दिन को या उससे पूर्व नगरपालिका कार्यालय में फाईल कर सकेगा.

१३८ मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा आपत्तियों का अन्वेषण

(१) ऐसी समस्त आपत्तियों का इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और किसी आपत्ति के प्राप्त होने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी आपत्तिकर्ता को उस समय तथा स्थान की लिखित सूचना देगा जहाँ उसकी आपत्ति का अन्वेषण किया जाएगा.

(२) इस प्रकार नियत किए गए समय तथा स्थान पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी आपत्तिकर्ता या उसके प्राधिकृत अभिकर्त्ता, यदि वह उपसंजात होता है, की उपस्थिति में आपत्ति की सुनवाई करेगा, या युक्तियुक्त हेतुक से अन्वेषण को स्थगित कर सकेगा.

(३) जब आपत्ति का अवधारण कर लिया गया हो तब ऐसी आपत्ति पर पारित आदेश उक्त रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और यदि आवश्यक है तो निर्धारण सूची में आपत्ति के परिणाम के अनुसार संशोधन किया जाएगा.

(४) यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, आपत्ति का अवधारण उसके फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर करने में असफल रहता है तो यह समझा जाएगा कि इस प्रकार फाइल की गई आपत्ति नामंजूर कर दी गई हैं और आपत्तिकर्ता अधिनियम की धारा १३९ के अधीन अपील कर सकेगा.

१३९ सिविल न्यायाधीश को अपील

(१) यदि किसी भूमि या भवन के निर्धारण के दायित्व के संबंध में या निर्धारण के आधार या सिद्धांत के संबंध में या निर्धारित कर की रकम के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है तो परिषद् के विनिश्चय के विरुद्ध अपील नगरपालिका क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग सिविल न्यायाधीश को और यदि नगरपालिका के मुख्यालय पर प्रथम वर्ग का कोई सिविल न्यायाधीश नहीं है, तो ऐसे मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले द्वितीय वर्ग सिविल न्यायाधीश को और यदि ऐसे मुख्यालय का कोई द्वितीय वर्ग सिविल न्यायाधीश नहीं है, तो अधिकारिता रखने वाले द्वितीय वर्ग सिविल न्यायाधीश को और यदि यथास्थिति मुख्यालय पर या अधिकारिता रखने वाले एक से अधिक सिविल न्यायाधीश हो, तो उनमें से किसी ऐसे एक को की जाएगी जिसे जिला न्यायाधीश विनिर्दिष्ट करें.

(२) ऐसी अपील धारा १३८ के अधीन पारित आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर सिविल न्यायाधीश को पेश की जाएगी और उसके साथ आपत्तियों को उस रजिस्टर में से लिया गया उद्धहरण संलग्न रहेगा, जिसमें वह आदेश हो जिसमें संबंध में आपत्ति की गयी है.

(३) इंडियन लिमिटेशन एक्ट, १९०८ (१९०८ का सं. ९) के भाग दो तथा तीन के उपबंध, जो अपीलों से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन की जाने वाली प्रत्येक अपील को लागू होंगे.

(४) इस धारा के अधीन कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक धारा १३७ के अधीन आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर दी गई हो.

(५) उपधारा (१) के अधीन की गई अपील में सिविल न्यायाधीश का विनिश्चय, उस न्यायालय द्वारा जिसमें साधारणत: ऐसे सिविल न्यायाधीश के विनिश्चयों के विरुद्ध अपील होती है, पुनरीक्षण में किए गए विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए, अंतिम होगा तथा परिषद् द्वारा ऐसे विनिश्चिय को कार्यान्वित किया जाएगा.

(६) इस धारा के अधीन किसी अपील का निलंबित रहना किसी ऐसे कर या उसकी किस्त के उद्‌गृहण को, जो किसी भवन या भूमि के संबंध में अपीलाधीन कर निर्धारण आदेश के अनुसार देय हो, न तो निलंबित करेगा और न ही निवारित करेगा किन्तु यदि अपील में अंतिम विनिश्चय द्वारा यह अवधारित किया जाए कि ऐसे कर या ऐसी किस्त को पूर्णत: या भागत: उद्‌ग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए था तो परिषद् उस व्यक्ति जिसको उक्त कर या किश्त उद्‌ग्रहीत की गई है यथास्थिति, ऐसे कर या किस्त की रकम या ऐसे विनिश्चय के अनुसरण में उचित रूप से उद्‌ग्रहणीय रकम के अधिक होने वाली रकम वापस करेगी.

१४० समस्त आपत्तियों को निपटा दिए जाने के पश्चात् निर्धारण-सूची का अधिप्रमाणन—

(१) धारा १३७ के अधीन की गई समस्त आपत्तियों का निपटारा कर दिए जाने पर और धारा १३८ द्वारा अपेक्षित समस्त संशोधन निर्धारण-सूची में कर दिए जाने पर उसे मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा जो अपने हस्ताक्षर के अधीन यह प्रमाणित करेगा कि उन मामलों के सिवाय, जिसमें संशोधन उसमें दर्शाए गए अनुसार कर दिए है, उक्त सूची में प्रविष्ट मूल्यांकन तथा निर्धारण के संबंध में कोई भी वैध आपत्ति नहीं की गई है:

परन्तु जहाँ धारा १३८ की उपधारा (२) के अधीन परिषद् का कृत्य [1][प्रेसिडेन्ट-इन-काउसिंल] या किसी अन्य समिति द्वारा इस धारा के उपबंधों के अधीन संपादित किया जाए, वहां ऐसी सूची यथापूर्वोक्त के साथ-साथ ऐसी समिति के कम से कम दो सदस्यों द्वारा अधिप्रमाणित की जाएगी.

(२) परिषद् राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से इस अधिनियम के अधीन परिषद् के कृत्यों को संपादित करने के लिये किसी सरकारी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी और जहां इस प्रकार कोई अधिकारी नियुक्त किया जाये वहां ऐसे अधिकारी

द्वारा ऐसी सूची को पूर्वोक्तानुसार अधिप्रमाणित तथा प्रमाणित किया जाएगा.

(३) इस प्रकार अधिप्रमाणित सूची नगरपालिका के कार्यालय में रखी जाएगी तथा कार्यालय समय के दौरान, उसमें दर्ज संपत्ति के स्वामियों तथा अधिभोगियों और उनके अभिकर्ताओं के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी तथा यह सूचना कि वह इस प्रकार खुली गई है तत्काल प्रकाशित की जाएगी.

(४) ऐसे परिवर्तनों के अध्यधीन रहते हुए, जो धारा १३८ के उपबंधों के अधीन उसमें किए जाएं तथा धारा १३९ के अधीन की गई किसी अपील के परिणाम के अध्यधीन रहते हुए इस प्रकार अधिप्रमाणित तथा निक्षिप्त की गई निर्धारण सूची की प्रविष्टियों को तथा धारा १४१ के उपबंधों के अधीन उक्त सूची में अंत:स्थापित प्रविष्टियों को, यदि कोई हों:—

(एक) नगरपालिका के समस्त करों के प्रयोजनों के लिए भवनों, भूमियों तथा भवनों और भूमियों, दोनों के, जिसमें ऐसी प्रविष्टियां क्रमश: निर्दिष्ट हैं, कर का विनियमन करने वाले नियमों में विहित आधार का मूल्यांकन या वार्षिक भाटक-मूल्य के प्रयोजनों के लिए; और

(दो) ऐसे कर के प्रयोजनों के लिए, जिसके लिए ऐसी निर्धारण-सूची तैयार की गई, किसी शासकीय वर्ष में, जिसमें ऐसी सूची प्रवृत्त हो, ऐसे भवनों या भूमियों या भवनों तथा भूमियों दोनों पर उद्ग्रहणीय कर की रकम के प्रयोजनों के लिए; निश्चायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा.

१४१ निर्धारण-सूची का संशोधन करने की परिषद् की शक्ति—

(१) परिषद् किसी भी समय, कोई भी विषय सम्मिलित करके, उसका लोप करके या उसे प्रतिस्थापित करके निर्धारण-सूची का संशोधन कर सकेगी:

परन्तु जब कभी वह गणित संबंधी किसी गलती को सुधारने से भिन्न किसी विषय की बावत् कोई संशोधन करने का प्रस्ताव करे, तो वह संशोधन करने से पूर्व ऐसे विषय में हित रखने वाले व्यक्तियों को उसकी सूचना भेजेगी और प्रस्तावित संशोधन के संबंध में आपत्ति करने हेतु तीस दिवस की कालावधि व्यतीत हो जाने देगी:

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा में की गई कोई बात परिसरों के उस मूल्यांकन में, जो अपील में अवधारित है, फेरफार करने के लिये परिषद् को सशक्त नहीं करेगी.

(२) यदि गणित संबंधी गलती को सुधारने से भिन्न किसी विषय की बातव् कोई संशोधन किया जाए जो कोई भी व्यक्ति, जिस पर सूचना तामील की गई है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को संबोधित किए गए और उक्त सूचना में नियत की गई तारीख के पूर्व परिषद् के कार्यालय में परिदत्त किए गए लिखित आवेदन द्वारा आपत्ति कर सकेगा, और धारा १३८ तथा १४० के उपबंध आवश्यक समस्त उपांतरणों के साथ ऐसी आपत्ति के संबंध में लागू होंगे.

(३) जब किसी नवीन भवन का परिनिर्माण, निर्धारण-सूची पूर्ण हो जाने के पश्चात् पूरा हो जाए तब परिषद् भवन की विशिष्टियां सूची में जोड़ सकेगी और ऐसे मामले में धारा १३५-१३६ तथा १३७ के उपबंध लागू होंगे, सिवाय इस बात के कि किसी सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता नहीं होगी. ऐसे मामले में निर्धारण उस तारीख के, जिसको भवन निर्धारण-सूची में जोड़ा जाता है, आगामी तिमाही के प्रारंभ से या उस तारीख से प्रभावी होगी जिसको उसे अधिभोग में ले लिया जाता है या भाटक पर दे दिया जाता है, यदि वह तारीख पूर्वतर है.

१४२ निर्धारण-सूची में की प्रविष्टियों का अंतिम होना

(१) धारा १४१ के उपबंधों और १३९ के अधीन प्रस्तुत की गई अपील में के विनिश्चय, यदि कोई है, के अध्यधीन रहते हुए धारा १४० के अधीन अधिप्रमाणित निर्धारण-सूची की प्रत्येक प्रविष्टि अंतिम होगी.

१४३ भाड़ा वृद्धि की सूचना

(१) जब किसी स्वामी ने धारा १३४ की उपधारा (३) में यथा उपबंधित जानकारी या लिखित विवरणी दे दी हो, तब वह भाड़े में हुई किसी पश्चात्वर्ती वृद्धि की लिखित सूचना मुख्य नगरपालिका अधिकारी को देगा.

(२) यदि किसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग का स्वामी उस पर निर्धारण किए जाने के पश्चात् उसके भाड़े में कोई वृद्धि करता है, तो वह ऐसी वृद्धि की लिखित सूचना मुख्य नगरपालिका अधिकारी को देगा.

(३) परिषद् भाड़ा वृद्धि की ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग के निर्धारण में परिवर्तन करते हुए निर्धारण-सूची को धारा १४१ द्वारा उपबंधित किए गए अनुसार संशोधित करेगी:

परन्तु वर्ष के दौरान निर्धारण का पुनरीक्षण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक भाड़े में वृद्धि भवन में सारवान् परिवर्धन के कारण न हुई हो.

* * * *

१४५ भाड़ा वृद्धि को सूचना देने में असफलता

(१) जो कोई धारा १४३ की उपधारा (१) तथा (२) द्वारा अपेक्षित भाड़ा वृद्धि की सूचना देने में असफल रहे या भाड़ा वृद्धि की ऐसी सूचना दे जो सारतः असत्य है, ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

१४६ नई निर्धारण सूची का प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाना आवश्यक नहीं होगा

(१) परिषद् प्रत्येक वर्ष नया निर्धारण करने के बजाय विद्यमान निर्धारण को ही ऐसे परिवर्तनों के साथ जैसे वह उचित समझे, ऐसे नए वर्ष के लिये निर्धारण के रूप में अंगीकृत कर सकेगी और ऐसे परिवर्तनों से प्रभावित व्यक्तियों को परिवर्तित मूल्यांकन तथा निर्धारण की वैसी ही सूचना दी जाएगी जैसी नया निर्धारण तैयार करने की स्थिति में अपेक्षित होगी.

(२) परिषद् निर्धारण के प्रयोजनों के लिए नगरपालिका के हर भाग का चार वर्ष में कम से कम एक बार सर्वेक्षण करने की व्यवस्था करेगी.

(३) धारा १३४ से १४० तक के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे.

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.